

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003172013

दांडिक प्रकरण क.-334 / 13

संस्थापित दिनांक-08.10.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-दिनेश पुत्र कमल सिंह कटारिया उम्र 24 साल निवासी बामोरी 02-कमल सिंह पुत्र सुंदर सिंह कटारिया उम्र 55 साल निवासी बामोरी 03-भूरा पुत्र कमल सिंह कटारिया उम्र 20 साल निवासी बामोरी 04-विरमा बाई पत्नी कमल सिंह कटारिया उम्र 45 साल निवासी बामोरी। <div>.....आरोपीगण</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री ए के जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.04.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह

अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी विनीता बाई ने दिनांक 05.06.13 को एसडीपीओ महोदय मुंगावली को इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसका विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से करीब तीन वर्ष पूर्व दिनेश पुत्र कमल सिंह कटारिया निवासी ग्राम बामोरी के साथ हुआ था। कुछ दिनों तक वह ससुराल में अच्छे से रही फिर कुछ दिनों बाद उसे उसकी सास ताने देकर लडने झगडने लगी। उसने इस बारे में अपने पति एवं ससुर को बताया तो उन्होंने कहा कि सास सही कर रही है और पिता का नाम लेकर गाली देकर बोले कि दो लाख रुपया ला। उसके पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा रुपये एवं दहेज देकर शादी की, ऐसा कहने पर उसके पति, देवर व सास ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसका दांत टूट गया। इस प्रकार आवेदनानुसार आरोपीगण ने फरियादिया से दो लाख रुपये लाने को कहा। इस प्रकार फरियादी के उक्त आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 118/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने फरियादी विनीताबाई को उसकी दिनेश से शादी के बाद से ग्राम बामौरी थाना पिपरई जिला अशोकनगर में फरियादी विनीताबाई के पति या पति के नातेदार होते हुए फरियादी विनीताबाई से दो लाख रुपये की मांग पूरी करने के लिये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रपीड़ित कर क्रूरता कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 विनीता बाई, अ.सा. 02 मुलायम सिंह, अ.सा. 03 दशरथ सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 विनीता बाई ने अपने कथन में बताया है कि उसका आरोपी से लगभग छः वर्ष पूर्व विवाह हुआ था तथा विवाहोपरांत कुछ दिनों बाद घरेलू बातों पर से उसका आरोपीगण से वाद विवाद होने लगा। जिस पर से उसने प्रपी 01 का शिकायती आवेदन पत्र दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे। अ.सा. 01 ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसके साथ मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 02 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 मुलायम सिंह एवं अ.सा. 03 दशरथ सिंह ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण से फरियादिया का पारिवारिक बात को लेकर वाद विवाद हो गया था जिस पर से फरियादिया ने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण फरियादिया से दहेज की मांग करते थे। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण फरियादिया के साथ मारपीट करते थे।

08— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा जिन साक्षीगण की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वे

पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण में से एक भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग की गई। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग कर उसके साथ कूरता कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)